

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल-29/2025-

/स्वा०,

पटना, दिनांक / /2025

डा० विनीत कुमार रंजन, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, अरवल के द्वारा प्रथम संतान हेतु उपभोगित अवधि दिनांक-17.09.2021 से 01.10.2021 तक कुल-15 (पन्द्रह) दिन को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में पितृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/एल-29/2025-

591(2)

पटना, दिनांक 15/4/2025

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, अरवल/अधीक्षक, सदर अस्पताल, अरवल /कोषागार पदाधिकारी, अरवल/डा० विनीत कुमार रंजन, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।
09/4/25